

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टांक

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) आज के वादे के नुमांश

पीठासीन अधिकारी... श्री सुभाष चन्द्र शर्मा RA-5.

1. शमकराण पुत्र फोलू जामिजाट
2. नन्दलाल पुत्र फोलू जामिजाट
नियोजनी ~~...~~ देवपुरा तह-उतियारा
दावा बाबत तकारामा व (श्री) निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर :- 66/2014
निर्णय दिनांक :- 20-5-2016
- उनवान (1) लक्ष्मीकामरण पुत्र रामरत्न जाट
नि देवपुरा तह-उतियारा
बनाम (2) कौशल्या पत्नी कालू जाट निषेधाज्ञा
(3) त एकी लक्ष्मीकामरण

वादी की ओर से शमकराण की व प्रतिवादी की ओर से कौशल्या
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20-5-2016 को श्री सुभाष चन्द्र शर्मा
(नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश
होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

जमावती ग्राम कल्याणपुरा समान 2070 से 2073 शवाहा संख्या
184 किता 1 रकबा 5.32 हेक्टर का विभाजन बटवारापत्र
अनुसार निम्न प्रकार डिक्री जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर
दी गई।

()
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		तामील कमिश्नर की फीस
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		
6. कमिश्नर की फीस		
7. आदेशिका की तामील		
योग		योग

क्र.सं	नाम स्वामिदार	खं.नं	रकबा	लागाव
१.	शामकण पुत्र पोल	५१/३	०-४४ का.१	५-५०
	जाट सा देवपुरा खुर्द	५१/६	०-४९ का.१	५-५५
	रुद्धिन भरवती शेतीप गुणवेंर शाखा कसे			
२.	नदलाल पुत्र जगदीश	५१/२	०-४४ का.१	५-५०
	जाट सा देवपुरा खुर्द	५१/५	०-४९ का.१	५-५५
	रुद्धिन भरवती शेतीप गुणवेंर के शाखा कसे			
३.	जदवीनारायण पुत्र शामकण जाट सा देवपुरा खुर्द	५१/१	०-४९ का.१	५-५५
५.	कौशल्या धारण कल्लु जाट सा देवपुरा खुर्द	५१/५	०-४९ का.१	५-५५

तहसीलदार उजिपारा को उक्तातुकार
राजस्व रेकार्ड मे अंकन किए जावे के अदिवा दिए
जावे है फरिमेन खन अपनार वहा करे

३८